

झारखण्ड सरकार  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(कृषि प्रभाग)

पत्रांक:-03/कृ0रा0यो0-19/2023

नं०

/कृ0, राँची, दिनांक:-07/02/2024

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी0,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
झारखण्ड, राँची।

अनौचारिक  
रूप से  
परामर्शित।

विषय:-राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषकों, कृषक समूहों एवं अन्य को ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों, के अनुदान पर वितरण हेतु "मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना" अंतर्गत रू0 8000.00 लाख (अस्सी करोड़ रू0) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

1. योजना प्रस्तावना -

- 1.1 आधुनिक युग में कृषि यांत्रिकीकरण एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें यांत्रिकीकरण विशेषकर ट्रैक्टर एवं उसके द्वारा चालित सहायक कृषि यंत्रों, की सहायता से कृषि कार्य हेतु मजदूर ना मिलने की समस्या से बहुत हद तक मुक्त हुआ जा सकता है। कृषि यांत्रिकीकरण से कृषि उपज में बढ़ोतरी होती है एवं समय की बचत भी होती, जिससे कृषि उपज में लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है। झारखण्ड राज्य में लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या अधिक होने से ट्रैक्टर एवं उसके द्वारा चालित सहायक कृषि यंत्रों के उपयोग से समय पर जुताई, बुआई, कटाई, थ्रेसिंग इत्यादि कार्यों से कृषि विकास दर में वृद्धि के साथ क्षेत्र के कृषक परिवारों की आय में दोगुनी वृद्धि संभव हो सकता है।
- 1.2 झारखण्ड राज्य में कृषि कार्य में कृषि यांत्रिकीकरण की व्यापक भूमिका को देखते हुए कृषि कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु विगत वर्षों में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, सहायक कृषि यंत्र, कृषि प्रसंस्करण यंत्र, पम्प सेट के साथ एच.डी.पी.ई.पाईप, इत्यादि उपलब्ध कराते हुए छोटे कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की गयी है।
- 1.3 राज्य योजनान्तर्गत कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजना एक चालू योजना है एवं इस योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को पम्पसेट एवं मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, रीपर उसके सहायक कृषि यंत्र, कृषि प्रसंस्करण यंत्र एवं अन्य छोटे कृषि यंत्रों के पैकेज की स्वीकृति दी गयी थी।

2.0 वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट एवं प्रस्तावित योजना की विकलनीय राशि

- 2.1 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में "कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण" बजटीय शीर्ष अंतर्गत कुल रू0 12500.00 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़ रू0) का बजटीय उपबंध स्वीकृत है, जिसके उप-योजनावार व्यय हेतु विभाग स्तर पर पम्पसेट एवं 200 ft HDPE Pipe वितरण योजना हेतु रू0 1700.00 लाख (सत्रह करोड़ रू0) एवं छोटे कृषि उपकरण बैंक का पैकेज हेतु मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, सहायक कृषि यंत्र, राईस ट्रांसप्लान्टर, कृषि प्रसंस्करण यंत्र इत्यादि के वितरण हेतु रू. 1700.00 लाख (सत्रह करोड़ रू0) तथा केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना" के कार्यान्वयन हेतु कृषकों को अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान हेतु रू0 300.00 लाख (तीन करोड़ रूपया), Sub-Mission On Agriculture Mechanization (SMAM) योजना (कृषि मशीनीकरण उप-मिशन योजना) के कार्यान्वयन हेतु कृषकों को अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान हेतु रू0 800.00 लाख (आठ करोड़ रूपया) के अतिरिक्त "मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना" हेतु रू0 8000.00 लाख (अस्सी करोड़ रूपया) मात्र कर्णांकित किया गया है।

- 2.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल बजटीय उपबंध रु0 12500.00 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़ रु0) में से "मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना" हेतु राशि रु0 8000.00 लाख (अस्सी करोड़ रु0) मात्र की मदवार स्वीकृति निम्नवत् दी जाती है :-

| (राशि लाख रु0 में)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| बजट शीर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कुल बजटीय उपबंध | स्वीकृत राशि |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2               | 3            |
| मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म,<br>लघुशीर्ष-113-कृषि इंजीनियरी<br>उपशीर्ष-BA-कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण<br>उपयोजना शीर्ष-01-कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण<br>विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी,<br>01-S-2401-00-113-BA-01-06-52                           | 3750.00         | 2400.00      |
| मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म,<br>लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,<br>उपशीर्ष-BA-कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण<br>उपयोजना शीर्ष-01-कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण<br>विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी,<br>01-S-2401-00-789-BA-01-06-52 | 1250.00         | 800.00       |
| मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म,<br>लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,<br>उपशीर्ष-BA-कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण<br>उपयोजना शीर्ष-01-कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण<br>विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी,<br>01-S-2401-00-796-BA-01-06-52                 | 7500.00         | 4800.00      |
| कुल योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12500.00        | 8000.00      |

कुल रु0 8000.00 लाख (अस्सी करोड़ रु0) मात्र

### 3.0 योजना विवरण एवं लक्ष्य-

#### 3.1 मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना -

##### (क) कृषक समूहों को अनुदान पर बड़े ट्रैक्टर का वितरण-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सभी जिलों के कृषक समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स एवं अन्य कृषक संगठनों को "मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना" अंतर्गत 34.0-40.0 max PTO HP ps एक बड़ा ट्रैक्टर एवं इसके साथ कम से कम दो कृषि यंत्रों के कय करने पर कुल पैकेज राशि रु0 10.00 लाख में बड़े ट्रैक्टर पर अधिकतम अनुदान 50 प्रतिशत एवं दो कृषि यंत्रों के कय करने पर अधिकतम अनुदान 80 प्रतिशत देय परन्तु कुल अधिकतम अनुदान रु0 5.00 लाख ही देय होगा। उक्त ट्रैक्टर पैकेज में कम से कम दो कृषि यंत्र को लेना अनिवार्य होगा, ताकि इस योजना की उपयोगिता कृषि कार्यों के लिए सुनिश्चित हो सके।

##### (ख) कृषक समूहों को अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण-

राज्य के सभी जिलों के कृषक समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स एवं अन्य कृषक संगठनों के वैसे कृषक समूह जिनके पास पूर्व से बड़ा ट्रैक्टर उपलब्ध हो एवं मात्र सहायक कृषि यंत्र कय करना चाहेंगे या अतिरिक्त कृषि यंत्र चाहेंगे उनको भी एक या एक से अधिक बड़े ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों के कय के लिये रु0 3.00 लाख तक के लागत के कृषि यंत्रों का 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान रु0 2.00 लाख देय होगा।

उक्त योजनान्तर्गत ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों का कृषक समूह स्वयं उपयोग करेंगे तथा समूह और समूह के बाहर के व्यक्तियों को भाड़े पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराकर अपने आय में वृद्धि कर सकेंगे।

(ग) भाड़े के दर का निर्धारण विभाग द्वारा कराया जायेगा।

अ-

71

07/02/2024

107

3.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का पैकेज तैयार करने हेतु ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों की सूची एवं अनुदान निम्न प्रकार से होगी:-

| S.N. | Detail of Machines                                                                                                                                                                                        | Package cost   | Subsidy & condition                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01   | Tractor (34.0-40.0 max PTO HP ps) approved model tested by FMTTI, with standard tool Kit, Seat, Hitch, hood, Drawbar Attachment, Insurance, Registration, GPS Attachment etc. & 2 Agriculture implements. | Rs. 10.00 Lakh | - One Tractor with Minimum two Implements from S.No. 02 to 12 have to be taken in tractor package.<br>- Maximum Subsidy on tractor @ 50% & on Agricultural Implements @ 80% of quoted L-1 prices as per Eol,<br>- Farmers Group Maximum Subsidy on tractor package will be Rs. 5.00 lakh. |
| 02   | Rotavator (4'-6')                                                                                                                                                                                         | Rs. 3.00 Lakh  | any farmers group having tractor and need extra Implements they can get subsidy @ 80% or Maximum Rs.2.00 lakh whichever is Minimum of quoted L-1 price as per Eol.                                                                                                                        |
| 03   | Cultivator (7-13 tyne)                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04   | Disc Harrow (11-18 disc)                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 05   | Ridger/Trencher / Auger (Tractor Drawn)                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 06   | Zero Tillage drill/ Seed cum Fertilizer Drill                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 07   | Cage Wheel Pair (compatible to above PTO HP Tractor )                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08   | Wheat Thresher (Tractor Drawn)                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 09   | Multicrop Thresher (Tractor Drawn)                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10   | Paddy Thresher (Tractor Drawn)                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11   | Power Maize Thresher/Maize Dehusker cum sheller (T. D.)                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12   | MB Plough (2 bottom)                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

नोट:- इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा M.B. Plough (2 bottom mould bolt) को किसानों/लाभुकों के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहित किया जायेगा।

उक्त सारिणी के क्रमांक 1 से 12 तक में से कृषक समूहों, महिला समूहों, पानी पंचायतो, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स या अन्य कृषक संगठनों द्वारा अपनी पसंद एवं बजट के अनुसार मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का पैकेज तैयार कर ट्रैक्टर एवं उसके सहायक कृषि यंत्र प्राप्त कर सकेंगे, परन्तु स्तम्भ-3 की ट्रैक्टर पैकेज की अधिकतम कुल राशि रु0 10.00 (दस) लाख प्रति इकाई एवं अन्य कृषि यंत्रों के पैकेज की अधिकतम कुल राशि रु0 3.00 लाख (तीन लाख रुपये) अपरिवर्तित रहेगी।

ट्रैक्टर पैकेज की कुल लागत रु0 10.00 लाख (दस लाख) या इससे अधिक होने पर भी लाभुकों द्वारा ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों का कय किया जा सकता है परन्तु कृषक समूह के लिये अधिकतम अनुदान रु0 5.00 लाख देय होगा। इससे अधिक राशि होने पर भी कृषक समूह अपना अतिरिक्त अंशदान दे कर ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं।

कृषक समूहों, महिला समूहों, पानी पंचायतो, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स या अन्य कृषक संगठन, जिनके पास बड़े ट्रैक्टर उपलब्ध हैं एवं केवल कृषि यंत्र प्राप्त करने हेतु कृषि यंत्र की लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान रु0 2.00 लाख देय होगा इससे अधिक राशि होने पर कृषक अपना अतिरिक्त अंशदान दे कर कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं।

आगामी वित्तीय वर्षों में इस योजना हेतु पैकेज की अधिकतम राशि/अनुदान की राशि परिवर्तित करने, ट्रैक्टर की अश्वशक्ति में परिवर्तन करने, उक्त कृषि यंत्रों के अतिरिक्त अन्य कृषि यंत्रों को शामिल करने या सूची से हटाने हेतु कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में विवरणी-1 के अनुसार कृषकों को 1112 बड़ा ट्रैक्टर (34.0-40.0 max PTO HP ps) एवं 970 सहायक कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

3.3 कतिपय कारण से किसी जिला में विवरणी-1 के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने से निदेशक भूमि संरक्षण के अनुमोदनोपरान्त दूसरे जिला को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित की जा सकती है, जिसकी सूचना विभागीय सचिव को दी जायेगी। किसी जिला में ट्रैक्टर पैकेज या कृषि यंत्र पैकेज का भौतिक लक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि वित्तीय लक्ष्य के अनुसार राशि अवशेष रह जाती है तो उक्त राशि से उसी जिला में अतिरिक्त भौतिक लक्ष्य के अनुरूप क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है जिसकी स्पष्ट सूचना एवं विवरण निदेशक भूमि संरक्षण एवं जेएएमटीटीसी को देना होगा।



#### 4.0 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी –

- 4.1 राज्य स्तर पर निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची इस योजना के नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। वह राशि के एकमुश्त निकासी कर व्ययन हेतु जेएएमटीटीसी, राँची के पी0एल0 खाते में स्थानांतरित करेंगे।
- 4.2 झारखण्ड कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र (JAMTTC), राँची के पी0एल0 खाते से भुगतान एवं व्यय कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), JAMTTC, राँची द्वारा किया जायेगा।

#### 5.0 कार्यान्वयन एजेंसी –

- 5.1 मंत्री परिषद् से स्वीकृत पूर्व के राज्यादेश संख्या 95 दिनांक 31.03.2022 एवं विभागीय संकल्प संख्या 3565 दिनांक 09.11.2012 के आलोक में “मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना” के कार्यान्वयन/व्ययन हेतु नोडल कार्यान्वयन एजेंसी “झारखण्ड कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र (जेएएमटीटीसी), राँची” होंगे।

#### 6.0 तकनीकी समिति एवं तकनीकी मानक का निर्धारण –

- 6.1 मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले सभी ट्रैक्टर पैकेज एवं अन्य कृषि यंत्र पैकेज की तकनीकी विशिष्टताओं/मानक निर्धारण तथा Expression of Interest (EOI) का सूत्रण सक्षम स्तर से गठित तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।
- 6.2 इस योजनान्तर्गत ट्रैक्टर से तात्पर्य वैसे ट्रैक्टर से होगा जिसकी अश्व शक्ति की तीन श्रेणी यथा श्रेणी-1 34.0–36.0, ps Max पी0टी0ओ0 हार्स पावर, श्रेणी-2 36.1–38.0 ps Max पी0टी0ओ0 हार्स पावर एवं श्रेणी-3 38.1–40.00 ps Max पी0टी0ओ0 हार्स पावर तक की होंगे। सभी ट्रैक्टर (34.0–40.0, ps Max पी0टी0ओ0 हार्स पावर) का मेक एवं मॉडल भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के website <https://farmech.dac.gov.in/> पर प्रकाशित सूची में होना अनिवार्य होगा। सभी ट्रैक्टर का पी0टी0ओ0 हार्स पावर कि गणना भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के Test Report में वर्णित Observed Value के अनुसार किया जायेगा।
- 6.3 सभी ट्रैक्टर में जी0पी0एस0 की सुविधा दी जायेगी, ताकि उसका ऑनलाईन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सकेगा। जी0पी0एस0 की सुविधा से ट्रैक्टर के भौगोलिक स्थिति, दूरी चालन, खेती का क्षेत्रफल इत्यादि का विवरण प्राप्त होगा। जेएएमटीटीसी, राँची द्वारा जी0पी0एस0 से निगरानी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तीन वित्तीय वर्षों तक की जायेगी, एवं इसका व्यय आकस्मिकता, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन मद की निधि से किया जायेगा।
- 6.4 सभी ट्रैक्टर, एवं उसके सहायक कृषि यंत्रों (केज व्हील को छोड़कर) को भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के परीक्षण संस्थानों या चिन्हित परीक्षण संस्थानों द्वारा निर्गत व्यावसायिक परीक्षण रिपोर्ट आवश्यक होगा।

#### 7.0 प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण:-

- 7.1 योजना के संदर्भ में पूरी जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के संदर्भ में पूरी जानकारी निदेशक भूमि संरक्षण झारखण्ड राँची एवं जेएएमटीटीसी के द्वारा वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7.2 कृषक समूहों, महिला समूहों, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स या अन्य कृषक संगठनों को उसके सहायक कृषि यंत्र, के चयन एवं पैकेज तैयार करने, परिचालन, रख रखाव हेतु जेएएमटीटीसी एवं जैसमीन के प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण हेतु द्वारा आकस्मिकता मद से आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर, एवं उसके सहायक कृषि यंत्रों का कय एवं प्रदर्शन की व्यवस्था किया जायेगा।

#### 8.0 लाभुक समूह का चयन-

- 8.1 लाभुक कृषक समूहों, महिला समूहों, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स या अन्य कृषक संगठनों के विवरण एवं अनुशंसा हेतु विहित प्रपत्र परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है। समूह के चयन हेतु कृषक समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स या अन्य कृषक संगठनों को योजनान्तर्गत आच्छादित किया जा सकेगा।
- 8.2 समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन/सूचना के 15 दिनों के अंदर इस योजनान्तर्गत विवरणी-1 में अंकित संबंधित जिला के ट्रैक्टर पैकेज के भौतिक लक्ष्य का 50 प्रतिशत क्षेत्र के माननीय विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुए “जिला स्तरीय समिति” द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। ससमय अनुशंसा प्राप्त नहीं होने पर “जिला स्तरीय समिति” द्वारा उपलब्ध सूची से अंतिम चयन किया जा सकेगा।



- 8.3 इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु विवरणी-1 में अंकित संबंधित जिला के भौतिक लक्ष्य के अतिरिक्त 50 प्रतिशत लाभुको की प्राथमिकता के साथ प्रतीक्षा सूची का भी अनुमोदन "जिला स्तरीय समिति" द्वारा किया जायेगा। किसी समूह द्वारा सूची प्रकाशन/लिखित सूचना दिये जाने के 15 दिनों के अंदर अंशदान की राशि संबंधित यंत्र के आपूर्तिकर्ता को जमा नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची के लाभुकों को आच्छादित किया जा सकेगा।
- 8.4 जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी-1 के अनुसार कृषक समूहों, महिला समूहों, पानी पंचायतो, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स या अन्य कृषक संगठनों की विवरणी के आधार पर सूची का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी। संबंधित जिला के भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी का दायित्व होगा की निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अनुमोदित सूची की सूचना भूमि संरक्षण निदेशालय/जेएएमटीटीसी, राँची/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/पंचायत प्रमुख/पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि को देंगे।
- 8.5 ट्रैक्टर, एवं सहायक कृषि यंत्रों के वितरण में वैसे लाभुक समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिस समूह के सदस्यों के पास खेती योग्य कुल 10.00 एकड़ से अधिक भूमि होगी। वैसे समूहों को भी प्राथमिकता दी जायेगी जिस समूह के सदस्यों में से कम से कम किसी एक सदस्य के पास ट्रैक्टर/वाहन (LMV) चालन का वैध लाइसेंस होगा। योजना के सफल संचालन हेतु संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर ट्रैक्टर का निबंधन एवं समूह के सदस्यों को ट्रैक्टर चालन का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8.6 कृषक समूहों, महिला समूहों, पानी पंचायतो, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स या अन्य कृषक संगठनों एवं माननीय विधायक से अनुशंसित समूहों की "जिला स्तरीय समिति" द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत सूची पर क्रियान्वयन की सूचना जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित लाभुको, संबंधित जिला के उपायुक्त, निदेशक भूमि संरक्षण, कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जेएएमटीटीसी राँची एवं विभाग को निश्चित रूप से ससमय दी जायेगी।
- 8.7 ट्रैक्टर पैकेज के कय हेतु अनुमोदित लाभुक समूह द्वारा कुल वास्तविक लागत/न्यूनतम दर का लाभुक अंशदान की राशि रु. 5.00 लाख या समतुल्य राशि उनके बैंक खाते में जमा होने का साक्ष्य संबंधित भूमि संरक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। सहायक कृषि यंत्रों के पैकेज हेतु वास्तविक लागत का कृषक अंशदान की राशि समूह द्वारा बैंक खाते में जमा होने का साक्ष्य संबंधित भूमि संरक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 8.8 जिन स्वयं सहायता समूहों/कृषक समूहों, लैम्पस-पैक्स को पूर्व में पांच वर्षों के अंदर कृषि विभाग द्वारा कृषि उपकरण बैंक की स्थापना (मिनी ट्रैक्टर पैकेज छोड़कर) या अन्य किसी योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना या राज्य योजना) के माध्यम से कड़िका-3.2 में वर्णित ट्रैक्टर पैकेज एवं उसके सहायक कृषि यंत्र यदि पूर्व में प्राप्त किया गया हो, तो उन ट्रैक्टर पैकेज एवं कृषि यंत्रों को छोड़कर ही अन्य कृषि यंत्रों के लिए पात्रता होगी। एक ही वित्तीय वर्ष में मिनी ट्रैक्टर पैकेज एवं कड़िका-3.2 में वर्णित ट्रैक्टर पैकेज का वितरण अनुमान्य नहीं होगा।
- 8.9 संबंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी द्वारा लाभुको के अंशदान की राशि संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के बैंक खाते में बैंक ड्राफ्ट या RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराये जाने के पश्चात संबंधित लाभुक समूह से लिखित आपूर्ति आदेश/घोषणा पत्र के रूप में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को दिलायेंगे एवं इसकी सूचना नियंत्री पदाधिकारी निदेशक भूमि संरक्षण एवं कार्यान्वयन एजेंसी जेएएमटीटीसी, राँची को देंगे।
- 9.0 **जिला स्तरीय समिति-**
- 9.1 ट्रैक्टर पैकेज, एवं सहायक कृषि यंत्रों के पैकेज हेतु कृषक समूहों, महिला समूहों, पानी पंचायतो, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स या अन्य कृषक संगठनों एवं माननीय विधायक से अनुशंसित समूहों की सूची तैयार करने के पश्चात संबंधित जिला के उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "जिला स्तरीय समिति" के द्वारा तैयार सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- 9.2 जिला स्तरीय समिति में उप विकास आयुक्त/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी या भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी (सदस्य सचिव के रूप में)/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम मैनेजर, झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी एवं उपायुक्त के द्वारा नामित/मनोनित अन्य सदस्य रखे जा सकेंगे।

## 10.0 योजना का अभिसरण—

- 10.1 योजना का अभिसरण विभाग की अन्य योजनाओं यथा—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई योजना), सिंचाई सुविधा की विस्तार की योजनाएँ, उद्यान विकास योजना, MIDH, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इत्यादि योजना से भी किया जायेगा। योजनाओं के अभिसरण का दायित्व संबंधित जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे) भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे एवं संबंधित पदाधिकारी का होगा।
- 11.0 **इच्छा की अभिव्यक्ति — Expression of Interest (EOI) एवं दर निर्धारण—**
- 11.1 इस योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले सभी कृषि यंत्रों के मानक का निर्धारण सक्षम स्तर से गठित तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित Expression of Interest (EOI) के आलोक में किया जायेगा।
- 11.2 सक्षम स्तर से गठित निविदा समिति द्वारा अनुशंसित एवं सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) के माध्यम से सूचीबद्ध (Empanel) किये गये निर्माता/आपूर्तिकर्ता से प्राप्त न्यूनतम दर एवं अनुदान की राशि का निर्धारण किया जायेगा, उसी अनुदानित दर पर ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की आपूर्ति किया जायेगा।
- 11.3 कंडिका-3.2 में वर्णित ट्रैक्टर पैकेज के वितरण/आपूर्ति करने हेतु सूचीबद्ध (Empaneled) निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कोटेड न्यूनतम दर को आधार मानते हुए योजना पैकेज लागत रु0 10.00 लाख हेतु कृषक समूहों को ट्रैक्टर के लिये 50 प्रतिशत एवं कृषि यंत्र के लिये 80 प्रतिशत के आधार पर अधिकतम रु0 5.00 लाख (पांच लाख रुपये) या वास्तविक लागत के अनुसार कम/न्यूनतम होगा वही अनुदान देय होगा। सहायक कृषि यंत्रों के पैकेज के वितरण/आपूर्ति करने हेतु योजना लागत रु0 3.00 लाख के आधार पर अधिकतम अनुदान 80 प्रतिशत या रु0 2.00 लाख रुपये में से जो न्यूनतम होगा वही देय होगा।
- 11.4 इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) के द्वारा सूचीबद्ध निर्माता तथा उनके अधिकृत बिक्रेता ही आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्य होंगे। इस क्रम में यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि Empanelled संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में सूचीबद्ध किया गया हो।
- 11.5 इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) में दिये गये मेक एवं मॉडल से विचलन कर आपूर्ति करने या अमानक आपूर्ति करने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता सीधे जिम्मेवार होंगे एवं ऐसी स्थिति में उनके भुगतान पर रोक लगाने या काली सूची में दर्ज करने संबंधी कार्रवाई की जायेगी।

## 12.0 अनुदान की राशि का भुगतान—

- 12.1 इस योजना के कार्यान्वयन में अनुदान की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से निम्नवत् हस्तांतरित किया जायेगा :-
- (क) लाभुक कृषक समूह द्वारा स्वयं के व्यय पर ट्रैक्टर, एवं सहायक कृषि यंत्र इत्यादि का क्रय करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरण किया जायेगा। लाभुक समूह द्वारा क्रय की रसीद, आधार संख्या एवं बचत बैंक खाता के विवरण के साथ अनुदान की राशि का दावा संबंधित जिले के भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा, जिसे संबंधित जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। दावा की तिथि के दो सप्ताह के अन्दर अनुदान की राशि संबंधित लाभुक समूह के बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।

या

- (ख) लाभुक कृषक समूह द्वारा बैंक ऋण के माध्यम से ट्रैक्टर, एवं सहायक कृषि यंत्र इत्यादि का क्रय करने पर पर संबंधित बैंक को अनुदान की राशि का हस्तांतरण किया जायेगा। बैंक ऋण के मामले में लाभुक कृषक समूह द्वारा ऋण लिए जाने का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

या

- (ग) लाभुक कृषक समूह के लिखित अनुरोध पर निर्माता/निर्माता के अधिकृत बिक्रेता के माध्यम से ट्रैक्टर, एवं सहायक कृषि यंत्र क्रय करने पर संबंधित निर्माता/निर्माता के अधिकृत बिक्रेता के बैंक खाते में अनुदान की राशि का हस्तांतरण किया जायेगा। इसके लिए लाभुक समूह द्वारा लिखित अनुरोध जिले के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण



सर्वे पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। अधिकृत बिक्रेता की सूची निर्माता के माध्यम से प्राप्त कर ही संबंधित पदाधिकारी अग्रेतर कार्यवाई करेंगे।

उक्त के आलोक में संबंधित भूमि संरक्षण कार्यालय में विपत्र प्राप्ति की तिथि के दो सप्ताह के अन्दर अनुदान की राशि संबंधित आपूर्तिकर्ता यथा निर्माता/निर्माता के अधिकृत बिक्रेता के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**13.0 राशि की निकासी एवं भुगतान -**

- 13.1** ट्रैक्टर, एवं उसके सहायक कृषि यंत्र, के वितरण के पश्चात, जेएएमटीटीसी, राँची के पी0 एल0 खाते से अनुदान की राशि के भुगतान हेतु निर्माता/आपूर्तिकर्ता के द्वारा दावा की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर सभी कागजात/विपत्र, कय रसीद, ट्रैक्टर, एवं उसके सहायक कृषि यंत्र, के साथ गुप के सदस्यों का जी0पी0एस0 फोटोग्राफ एवं आधार संख्या के साथ भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी के कार्यालय में दावा किया जायेगा। दावा की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर जिला के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण हजारीबाग द्वारा जांच कर प्रतिहस्ताक्षर के साथ अनुदान की राशि संबंधित को भुगतान या RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित करने हेतु विपत्र अग्रसारण पत्र के साथ कार्यपालक निदेशक, (कृषि अभियंत्रण) जेएएमटीटीसी, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसकी सूचना निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची को दिया जायेगा।
- 13.2** आकस्मिकता एवं जी0पी0एस0/आवश्यक मशीन उपकरण का कय/तृतीय पक्ष से मूल्यांकन हेतु विवरणी-1 के अनुसार रु0 500.00 लाख (पांच करोड़ रुपये) कर्णांकित किया गया है। चयनित जिला के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे), पदाधिकारी को योजना के अनुश्रवण, प्रचार, प्रसार, कृषि यंत्रों के वितरण कार्यक्रम के आयोजन एवं वाहन/आकस्मिकता पर व्यय हेतु राशि रु. 1.00 लाख (एक लाख रुपये) या आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि स्थानांतरित किया जा सकेगा।
- 14.0 पंचायती राज की भूमिका -** त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि (मुखिया, पंचायत समिति सदस्य पंचायत प्रमुख) के द्वारा योजना का अनुश्रवण किया जा सकेगा।
- 15.0 मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन -**
- 15.1** संबंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी द्वारा अभिलेख एवं लेखा संधारण किया जायेगा। योजना का प्रगति-प्रतिवेदन भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी द्वारा जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग के माध्यम से निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची एवं कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जेएएमटीटीसी, राँची को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
- 15.2** योजना कार्यान्वयन के पश्चात वितरित यंत्रों का क्रम संख्या/वर्ष, लाभुक समूहों की सूची तथा जी0एस0टी0 कटौती के साक्ष्य (अभिश्रव के आधार पर) संबंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी एवं जेएएमटीटीसी, राँची के कार्यालय में संधारित करते हुए समेकित वार्षिक प्रतिवेदन विभाग एवं निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 16.0 अनुश्रवण एवं सत्यापन -**
- 16.1** ट्रैक्टर, एवं उसके सहायक कृषि यंत्र, के वितरण के पश्चात, इस योजना का तृतीय पक्ष से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 16.2** जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे, पदाधिकारी/सहायक कृषि अभियंत्रण, द्वारा ट्रैक्टर, एवं उसके सहायक कृषि यंत्रों, की गुणवत्ता/मानक एवं वितरण का भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यंत्रों की गुणवत्ता/मानक में विचलन होने पर उक्त पदाधिकारी/आपूर्तिकर्ता सीधे जिम्मेवार होंगे।
- 16.3** विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जेएएमटीटीसी, राँची या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची, उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राँची के द्वारा यंत्रों की गुणवत्ता/मानक एवं वितरण का औचक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण किया जा सकेगा।
- 16.4** कृषक समूहों, महिला समूहों, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स या अन्य कृषक संगठनों को उपलब्ध कराये गये ट्रैक्टर, एवं सहायक कृषि यंत्र, का भौतिक सत्यापन गुणवत्ता/मानक एवं योजना के फलफल की जानकारी सुनिश्चित करने हेतु जी0पी0एस0 तकनीक का उपयोग किया जायेगा।
- 16.5** लाभुक समूह द्वारा यह भी घोषणा किया जायेगा की तीन वित्तीय वर्षों तक ट्रैक्टर या संबंधित अन्य कृषि यंत्रों को किसी अन्य को विक्रय/स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।

- 16.6 इस योजनान्तर्गत लाभुकों की जिलावार सूची/लाभुकों का नाम, वितरित यंत्रों का क्रमांक/वर्ष को निदेशक भूमि संरक्षण/कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जेएएमटीटीसी, राँची द्वारा संबंधित निदेशालय के वेबसाइट/विभागीय वेबसाइट/जेएएमटीटीसी, राँची के वेबसाइट [www.jamttc.org](http://www.jamttc.org) पर अपलोड किया जायेगा।
- 17 इस योजना में वितरित किये जाने वाले यंत्रों का GEO Taggaing रंगीन Photograph लाभुक समूह के आवासीय पते पर लेना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि सुगमतापूर्वक अनुश्रवण किया जा सके।
- 18 इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन इस योजना हेतु घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा वित्तीय नियमावली तथा कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों तथा अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।
- 19 योजना के कार्यान्वयन में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे, पदाधिकारी, निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची एवं कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) जेएएमटीटीसी, राँची के द्वारा वित्तीय नियमावली/कोषागार नियमावली/वित्तीय अनुदेश/परिपत्र से संबंधित सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 20 जिला स्तरीय संबंधित सभी पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस राज्य योजनान्तर्गत व्यय, बजट उपबंध/आवंटित राशि के अन्तर्गत हो, किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना अंतर्गत वितरित किये जाने वाले कृषि यंत्र विभाग के किसी अन्य योजना (राज्य योजना या केन्द्र प्रायोजित योजना) से दोहरीकरण न हो तथा स्वीकृत्यादेश प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का अक्षरशः सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 21 समीक्षोपरांत देखा गया की महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य समूहों को छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना में मिनी ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर एवं अन्य सहायक कृषि यंत्रों के अतिरिक्त बड़े ट्रैक्टर (34.0-40.0 max PTO HP ps तक) एवं उसके द्वारा चालित सहायक कृषि यंत्रों, की सहायता से कृषि विकास में अपेक्षित प्रगति होगी। बड़े ट्रैक्टर का दर अधिक होने से महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य समूहों द्वारा बड़े ट्रैक्टर एवं उसके द्वारा संचालित कृषि यंत्रों का कय करना संभव नहीं हो पा रहा है इसलिए बड़े ट्रैक्टर एवं उसके द्वारा चालित कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है। बड़े ट्रैक्टर एवं उसके द्वारा चालित कृषि यंत्रों के साथ बड़े ट्रैक्टर पैकेज की सीमा को रु. 10.00 लाख (दस लाख) रुपये निर्धारित करते हुए एवं EOI द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर को आधार मानते हुए ट्रैक्टर के लिये 50 प्रतिशत एवं कृषि यंत्र के लिये 80 प्रतिशत अनुदान के आलोक में समूह के लिये अधिकतम अनुदान रु0 5.00 लाख (पांच लाख रुपये) तथा सहायक कृषि यंत्रों पर योजना लागत रु0 3.00 लाख पर अधिकतम अनुदान 80 प्रतिशत या रु0 2.00 लाख में से जो न्यूनतम होगा वह उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कुल राशि रु0 8000.00 लाख (अस्सी करोड़ रु0) मात्र की अनुमानित लागत पर "मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना" कार्यान्वयन स्वीकृति दी जाती है।
- 22 प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
- 23 प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
- 24 प्रस्ताव पर मंत्रीपरिषद् की दिनांक-24.01.2024 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-18 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:-03/कृ0रा0यो0-19/2023

/कृ0,राँची,दिनांक:- 07/02/2024

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

71  
07/02/2024



ज्ञापांक:-03/कृ0रा0यो0-07/2016

नं०

/कृ0, राँची, दिनांक:- ०४/०२/२०२४

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई-मेल आईडी0- directorsoiljhr@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की रही है

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-03/कृ0रा0यो0-19/2023

नं०

/कृ0, राँची, दिनांक:- ०४/०२/२०२४

प्रतिलिपि:-मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव(योजना)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक कृषि, झारखण्ड, राँची/निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची/निदेशक, उद्यान, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जेएएमटीटीसी, राँची/संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/ सभी संयुक्त कृषि निदेशक/ उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैसमीन, झारखण्ड, राँची/सभी सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/सभी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सभी भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सभी भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल जिला कृषि पदाधिकारी/अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट/ योजना एवं बजट शाखा-3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-03/कृ0रा0यो0-19/2023

नं०

/कृ0, राँची, दिनांक:- ०४/०२/२०२४

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-विशेष सचिव, झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

विवरणी-1

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य समूहों को कृषि यंत्रों का वितरण योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना" अन्तर्गत कृषक समूहों को अनुदान पर ट्रैक्टर, एवं उसके सहायक कृषि यंत्रों के वितरण हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी :-

| क्र० | जिला का नाम                              | ट्रैक्टर पैकेज का भौतिक लक्ष्य (संख्या) | ट्रैक्टर पैकेज का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु०) | कृषि यंत्र पैकेज का भौतिक लक्ष्य (संख्या) | कृषि यंत्र पैकेज का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु०) | कुल भौतिक लक्ष्य (संख्या) | कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु०) |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                        | 3                                       | 4                                          | 5                                         | 6                                            | 7                         | 8                            |
| 01.  | राँची                                    | 70                                      | 350.00                                     | 80                                        | 160.00                                       | 150                       | 510.00                       |
| 02.  | खूँटी                                    | 30                                      | 150.00                                     | 30                                        | 60.00                                        | 60                        | 210.00                       |
| 03.  | लोहरदगा                                  | 30                                      | 150.00                                     | 30                                        | 60.00                                        | 60                        | 210.00                       |
| 04.  | गुमला                                    | 40                                      | 200.00                                     | 40                                        | 80.00                                        | 80                        | 280.00                       |
| 05.  | सिगडेगा                                  | 30                                      | 150.00                                     | 30                                        | 60.00                                        | 60                        | 210.00                       |
| 06.  | पूर्वी सिंहभूम                           | 40                                      | 200.00                                     | 40                                        | 80.00                                        | 80                        | 280.00                       |
| 07.  | सरायकेला-खरसावां                         | 30                                      | 150.00                                     | 30                                        | 60.00                                        | 60                        | 210.00                       |
| 08.  | प० सिंहभूम                               | 75                                      | 375.00                                     | 80                                        | 160.00                                       | 155                       | 535.00                       |
| 09.  | लातेहार                                  | 30                                      | 150.00                                     | 30                                        | 60.00                                        | 60                        | 210.00                       |
| 10.  | दुमका                                    | 120                                     | 600.00                                     | 80                                        | 160.00                                       | 200                       | 760.00                       |
| 11.  | साहेबगंज                                 | 75                                      | 375.00                                     | 85                                        | 170.00                                       | 160                       | 545.00                       |
| 12.  | पाकुड़                                   | 30                                      | 150.00                                     | 30                                        | 60.00                                        | 60                        | 210.00                       |
| 13.  | जामताड़ा                                 | 30                                      | 150.00                                     | 30                                        | 60.00                                        | 60                        | 210.00                       |
| 14.  | गोड्डा                                   | 20                                      | 100.00                                     | 20                                        | 40.00                                        | 40                        | 140.00                       |
| 15.  | आकस्मिकता, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन      |                                         | 250.00                                     |                                           | 30.00                                        |                           | 280.00                       |
|      | योग टी०एस०पी०                            | 650                                     | 3500.00                                    | 635                                       | 1300.00                                      | 1285                      | 4800.00                      |
| 01.  | पलामू                                    | 30                                      | 150.00                                     | 25                                        | 50.00                                        | 55                        | 200.00                       |
| 02.  | देवघर                                    | 100                                     | 500.00                                     | 70                                        | 140.00                                       | 170                       | 640.00                       |
| 03.  | गोड्डा                                   | 15                                      | 75.00                                      | 20                                        | 40.00                                        | 35                        | 115.00                       |
| 04.  | गढ़वा                                    | 20                                      | 100.00                                     | 20                                        | 40.00                                        | 40                        | 140.00                       |
| 05.  | हजारीबाग                                 | 40                                      | 200.00                                     | 30                                        | 60.00                                        | 70                        | 260.00                       |
| 06.  | रामगढ़                                   | 20                                      | 100.00                                     | 20                                        | 40.00                                        | 40                        | 140.00                       |
| 07.  | कोडरमा                                   | 21                                      | 105.00                                     | 20                                        | 40.00                                        | 41                        | 145.00                       |
| 08.  | चतरा                                     | 20                                      | 100.00                                     | 25                                        | 50.00                                        | 45                        | 150.00                       |
| 09.  | गिरिडीह                                  | 22                                      | 110.00                                     | 20                                        | 40.00                                        | 42                        | 150.00                       |
| 10.  | बोकारो                                   | 22                                      | 110.00                                     | 20                                        | 40.00                                        | 42                        | 150.00                       |
| 11.  | धनबाद                                    | 22                                      | 110.00                                     | 20                                        | 40.00                                        | 42                        | 150.00                       |
| 12.  | आकस्मिकता, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन      |                                         | 130.00                                     |                                           | 30.00                                        | 0                         | 160.00                       |
|      | योग ओ०एस०पी०                             | 332                                     | 1790.00                                    | 290                                       | 610.00                                       | 622                       | 2400.00                      |
| 01.  | पलामू                                    | 25                                      | 125.00                                     | 8                                         | 16.00                                        | 33                        | 141.00                       |
| 02.  | देवघर                                    | 20                                      | 100.00                                     | 10                                        | 20.00                                        | 30                        | 120.00                       |
| 03.  | हजारीबाग                                 | 30                                      | 150.00                                     | 11                                        | 22.00                                        | 41                        | 172.00                       |
| 04.  | चतरा                                     | 25                                      | 125.00                                     | 8                                         | 16.00                                        | 33                        | 141.00                       |
| 05.  | गिरिडीह                                  | 30                                      | 150.00                                     | 8                                         | 16.00                                        | 38                        | 166.00                       |
| 06.  | आकस्मिकता, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन      |                                         | 60.00                                      |                                           | 0.00                                         |                           | 60.00                        |
|      | योग एस०सी०एस०पी०                         | 130                                     | 710.00                                     | 45                                        | 90.00                                        | 175                       | 800.00                       |
|      | कुल योग टी०एस०पी०+ ओ०एस०पी०+एस०सी०एस०पी० | 1112                                    | 6000.00                                    | 970                                       | 2000.00                                      | 2082                      | 8000.00                      |

मो० 8000.00 लाख (अस्सी करोड़ रु०) मात्र

सरकार के सचिव

71  
07/02/2024



## परिशिष्ट-1

राज्य योजनान्तर्गत कृषकों महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना" अन्तर्गत कृषक समूहों को अनुदान पर ट्रैक्टर/कृषि यंत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-प्रपत्र।

1. आवेदक (कृषक समूह) का नाम :-
2. कृषक समूह का पूर्ण पता:-  
(क) ग्राम:- (ख) पंचायत:- (ग) थाना:-  
(घ) प्रखण्ड:- (च) जिला का नाम :- (छ) पिन कोड:-
3. कृषक समूह के सचिव का नाम:-
4. कृषक समूह के अध्यक्ष का नाम :-
5. कृषक समूह के कोषाध्यक्ष का नाम :-
6. कृषक समूह के गठन का वर्ष :-
7. कृषक समूह के सचिव का आधार कार्ड संख्या :-
8. कृषक समूह के सदस्यों की संख्या :-
9. कृषक समूह के गठन से संबंधित पूर्ण कागजात की प्रति (संलग्न किया जाय)
10. कृषक समूह के सचिव का मोबाईल नं० :-
11. बैंक से संबंधित विवरणी :-  
(क) समूह का नाम- (ख) बैंक खाता संख्या :-  
(ग) बैंक का नाम :- (घ) बैंक शाखा का नाम :- (च) बैंक का IFS कोड -
12. ईच्छित ट्रैक्टर/कृषि यंत्र का नाम जो पूर्व के 5 वर्ष में नहीं लिया गया हो-

कृषक समूह का  
फोटोग्राफ

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त कृषि यंत्र 5 वर्ष पूर्व तक में कृषि विभाग से अनुदान पर नहीं प्राप्त किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अगले तीन वर्षों तक ट्रैक्टर एवं अन्य सहायक कृषि यंत्रों को किसी को विक्रय/स्थानान्तरित नहीं करूँगी/करूँगा।

सचिव का हस्ताक्षर

कृषक समूह के लिये सत्यापन/अनुशंसा  
कृषक समूह के सचिव श्री/सुश्री/श्रीमती .....पिता/पति.....  
ग्राम .....पंचायत.....प्रखण्ड .....जिला .....को विगत .....वर्ष  
से जानता हूँ जिनको कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उक्त क्रमांक-13 पर वर्णित ट्रैक्टर/कृषि यंत्र को अनुदानित दर पर प्रदान करने हेतु सत्यापित/अनुशंसा किया जाता है।

मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/पंचायत प्रमुख/सक्षम

पदाधिकारी

कृषक समूह के चयन के लिए विशेष अनुशंसा  
कृषक समूह के सचिव श्री/सुश्री/श्रीमती .....पिता/पति.....  
ग्राम .....प्रखण्ड .....पंचायत.....जिला .....को  
विगत .....वर्ष से जानता हूँ जिनको कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उपर्युक्त क्रमांक-13 पर वर्णित ट्रैक्टर / कृषि यंत्र को अनुदानित दर पर प्रदान करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

माननीय विधायक

परिशिष्ट-2

राज्य योजनान्तर्गत कृषकों महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना" अन्तर्गत कृषक समूहों को अनुदान पर ट्रैक्टर/कृषि यंत्र प्रदान करने हेतु लाभुक का सत्यापन प्रपत्र।

1. आवेदक (कृषक समूह) का नाम :-
2. कृषक समूह का पूर्ण पता :-
- (क) ग्राम:- (ख) पंचायत:-
- (घ) प्रखण्ड:- (च) जिला :-
3. पेन कार्ड संख्या (यदि हो) संलग्न करे
- (क) समूह के सचिव
- (ख) समूह के अध्यक्ष:-
- (ग) समूह के कोषाध्यक्ष/सदस्य :-

- (ग) थाना:-
- (छ) पिन कोड:-

समूह का  
फोटोग्राफ

4. कृषक समूह के पास खेती योग्य भूमि :-
5. इच्छित कृषि यंत्र का नाम जो पूर्व के 5 वर्षों में कृषि विभाग से नहीं लिया गया हो-
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
6. कृषक समूह का विवरण :-

| क्र0 | नाम | पति/पिता का नाम | पदनाम      | आधार सं0 | मोबाईल सं0 | हस्ताक्षर |
|------|-----|-----------------|------------|----------|------------|-----------|
| 1    |     |                 | अध्यक्ष    |          |            |           |
| 2    |     |                 | सचिव       |          |            |           |
| 3    |     |                 | कोषाध्यक्ष |          |            |           |
| 4    |     |                 | सदस्य      |          |            |           |
| 5    |     |                 | सदस्य      |          |            |           |
| 6    |     |                 | सदस्य      |          |            |           |
| 7    |     |                 | सदस्य      |          |            |           |
| 8    |     |                 | सदस्य      |          |            |           |
| 9    |     |                 | सदस्य      |          |            |           |
| 10   |     |                 | सदस्य      |          |            |           |
| 11   |     |                 | सदस्य      |          |            |           |
| 12   |     |                 | सदस्य      |          |            |           |

इस योजना हेतु समूह के सदस्यों को अपने आधार सं0 एवं मोबाईल सं0 के उपयोग पर कोई आपत्ति नहीं है।

समूह के अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर

स0भू0सं0पदा0/कनीय कृषि अभियंता/सहायक कृषि अभियंता या विधिवत प्राधिकृत कर्मी द्वारा सत्यापन एवं मंतव्य

उक्त लाभान्वित कृषक समूह को पूर्व में कृषि विभाग द्वारा उपर्युक्त वर्णित एवं वांछित कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपर्युक्त नाम एवं पता का सत्यापन सही पाया गया है। कृषक समूह को कृषकों महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजना अंतर्गत वांछित कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की अनुशंसा की जाती है/निम्न कारणों से कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

प्राधिकृत कर्मी/पदाधिकारी का हस्ताक्षर